

अवैध रूप से बच्चा गोद लेना दंडनीय अपराध है!



कोरोना वायरस की महामारी के दौरान कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं

केवल उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके इन बच्चों को अपनाएं और किसी भी प्रकार से गैरकानूनी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया से बचें।

बच्चों की सुरक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा
बेज़ 15-20 सेक्टर-4 पंचकूला
फ़ोन नंबर : 0172-2571151
ईमेल : cncp.icps@gmail.com

